क्रम-संख्या–191(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

आश्विन 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 497/79-वि-1–2022-1-क-10-2022

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी।

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवंधित नहीं किया गया है;"

(ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में, -

(i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे;

(iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;

(iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;

(v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दिया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का ब्यौरा न दिया हो।"

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"38-(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियाँ और ऐसी अन्य पूर्तियाँ, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के व्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे ।

आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे ,-

(क) आवक पूर्तियों का व्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और

(ख) पूर्तियों का व्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के ब्योरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है,-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक की हो; या

(vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ।"

धारा 39 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उपधारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा, -

(क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि;"

(ग) उपधारा (9) में, --

(i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा;

(ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जाएंगे;

(घ) उपधारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया हो।"

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"41-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, अपनी कर विवरणी में स्वत: निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा;

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनःउपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है"।

धारा 42, 43 और 43क का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी।

धारा 47 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, -

(क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;

(ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;

(ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 48 में,उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।"

धारा 50 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

धारा 52 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 54 में ,--

(क) उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररुप और" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे;

(ग) उप-धारा (10) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (3) के अधीन" निकाल दिये जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख क) किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख"।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा या दोनों की अन्तःराज्यीय पूर्ति पर, कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2--उक्त अधिनियम में विद्यमान करदाताओं के नए माल और सेवा कर व्यवस्था में सुचारु रूप से संक्रमण के लिए कतिपय उपबंध किये गये हैं। तथापि नई कर व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लघु और मध्यम करदाताओं को हुयी बहुत सी असुविधाओं में से एक असुविधा माल और सेवा कर विधियों के अधीन विवरणी दाखिल करने और इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने की जटिल प्रक्रिया थी। इस संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों में इनपुट कर प्रत्यय के दावों में निश्चितता और करदाताओं के लिए इनपुट कर प्रत्यय सत्यापन के दोतरफा संचार समाप्ति परिकल्पित की गई है। उपर्युक्त परिवर्तनों को क्रियान्वित करने तथा अन्य कठिनाइयों को भी दूर करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करके उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।